

सहायक उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

राजगढ़ जिला चूरु

**इन्द्रबाई**


बनाम

सरकार

मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट

नम्बर मुकदमा 242 सन् 2019

| हुकम    | हुकम या कार्यवाही विवरण  | नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुकम |
|---------|--|---|
| 17/8/20 | <p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी <b>इन्द्रबाई पत्नी ज्ञान सिंह पुत्री अमर सिंह लालीबी पी.लीलादेव पुत्री अमर सिंह, सन्तोष पत्नी जीराम सिंह पुत्री अमर सिंह जाका प्रतः अमरीठ</b> तहसील राजगढ़ जिला चूरु न इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं. .... ख0नं0 118, 129, 130, 165, 166, 328 <b>कुल गाडारी 25.42 हे० रोधी</b></p> <p><b>ग्राम अमरीठ</b> तहसील राजगढ़ जिला चूरु में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का गलत नाम <b>शोरण चंवर, प्रमदुलका, अमरकव</b> राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम <b>इन्द्रबाई, लालीबी, सन्तोष</b> का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. .... ख0नं0 118, 129, 130, 165, 166, 328 <b>कुल गाडारी 25.42 हे० रोधी अमरीठ</b></p> <p>तहसील राजगढ़ जिला चूरु के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम <b>शोरण चंवर, प्रमदुलका, अमरकव</b> के स्थान पर सही नाम <b>इन्द्रबाई, लालीबी, सन्तोष</b> शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे।</p> <p>मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> |   |

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 राजगढ़ (चूरु)